

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/ 3574 जयपुर,दिनांक: 2-9-16

:: आ दे रा ::

राजस्थान अधिनस्थ सेवा की श्री तुलसीराम मेनारिया, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2016 से स्वेच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्रीमती मेनारिया की जन्मतिथि 01.01.1960 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति नियुक्ति तिथि 01.03.1979 है।


अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री तुलसीराम मेनारिया को दिनांक 01.10.2016 से स्वेच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर जारी की गई है।

श्री श्री तुलसीराम मेनारिया, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/शिकायत विचाराधीन नहीं है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 411 दिनांक 21.07.2016 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पं.स. मावली (उदयपुर)।
4. श्री तुलसीराम मेनारिया, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव